UPSR010004662026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-171/2026

छोटे लाल उम्र 35 वर्ष पुत्र बाबूराम,

निवासी–भुजंगा, दा0–विशुनपुर रामनगर, थाना–कोतवाली भिनगा,

जनपद–श्रावस्ती। .....आवेदक/अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

मु0 सं0–3349/2025
अ0सं0–192/2024
धारा–323, 452, 147, 504, 506
भा0दं0सं0
थाना–को0 भिनगा, जिला–श्रावस्ती

दिनांक 17.03.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **छोटे लाल** की ओर से मुकदमा संख्या 3349/2025, अपराध संख्या 192/2024, धारा 323, 452, 147, 504, 506 भा0दं0सं0, थाना को0 भिनगा, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा हाजरूननिशा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रावस्ती के न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया कि घटना दिनांक 06.11.2023 समय करीब सुबह 8.00 बजे वहद ग्राम भुजंगा दा0 विशुनपुर रामनगर थाना कोतवाली भिनगा जनपद श्रावस्ती की है। वादिनी अपने घर पर अकेली थी। वादिनी के परिवार वाले खेत में काम करने के लिए चले गये थे तभी विपक्षीगण छोटे लाल, मगन बिहारी, कुन्ने लाल पुत्रगण बाबूराम व बाबूराम पुत्र कंधई व पंडित पुत्र कुन्ने लाल व सोनू, घटना पुत्रगण छोटे लाल, प्रदीप कुमार एवं छोटे लाल की पत्नी निवासीगण भुजंगा दा0 विशुनपुर रामनगर, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती पुरानी रंजिश को लेकर भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए उसके घर पर चढ़ आये। छोटे लाल व मगन बिहारी उसके घर में घुस आये और मारते पीटते हुए लाकर घर के बाहर उठाकर पटक दिया। अभियुक्त मगन बिहारी ने सभी अभियुक्तगणों को ललकारते हुए कहा कि इसे जान से मार डालो बस सभी अभियुक्तगणों ने वादिनी को लात, मूका, घूसा थप्पड़ से मारना पीटना शुरू कर दिया। वादिनी के प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश से आवेदक/

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.03.17 14:38:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त एवं आठ अन्य के विरूद्ध मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त एवं दस अन्य के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में प्रेषित किया गया है।

3– आवेदक/अभियुक्तद्वारा जमानत आवेदन के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त को महज बेबुनियाद झूठे वाक्यात तथ्यों में वादिनी मुकदमा ने जानबूझकर फंसा दिया है। आवेदक/अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा न्यायालय पर आत्मसमर्पण न किये जाने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर आवेदक/अभियुक्त ने दिनांक 09.03.2026 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग किया गया है तथा उसके द्वारा न्यायालय की शर्तो का उल्लंघन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा केस डायरी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6– मुकदमा संख्या 171/2026, राज्य प्रति छोटे लाल एवं अन्य, अपराध संख्या 192/2024, थाना को0 भिनगा, जनपद श्रावस्ती की पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी तथा उसके साथ उपलब्ध सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा अधिकतम सात वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। अभियुक्त पूर्व में अन्तरिम जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 09.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त छोटे लाल का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **छोटे लाल** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि आरोप निर्धारण, साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 17.03.2026